राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1368 / 2024

कैलाश पाल सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. तहसीलदार, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला नीम का थाना।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 02.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री गोविन्द खण्डेलवाल, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पर तहसील श्रीमाधोपुर, जिला नीमकाथाना में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा वर्तमान पदस्थापित स्थान से कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार एसडीएम कार्यालय रामगढ सीकर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पद पर दिनांक 28.08.2023 को पदस्थापित हुआ है। इसके पश्चात अपीलार्थी का स्थानांतरण अल्पावधि में किया गया है, जो उचित नहीं है। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के एक वर्ष से भी पूर्व किया गया है, जो गलत है।
3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना में पदस्थापित होने के पश्चात अपीलार्थी को एपीओ किया जाना आदेश दिनांक 22.02.2024 से परिलक्षित होता है। ऐसे में प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में आदेशों की प्रतीक्षा में चल रहा था। अतः अपीलार्थी का पुनः पदस्थापन किया जाना विधि–विरूद्ध होना नहीं माना जा सकता है। यह भी नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी का अल्पावधि में स्थानांतरण किया गया हो। अपीलार्थी का स्थानांतरण राज्यहित एवं प्रशासनिक कारणों से किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि

होना प्रकट नहीं होता है। नियोक्ता को अधिकार है कि वह अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता है कि प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेनी है। नियोक्ता द्वारा लिए गए निर्णय में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता, जब वह निर्णय नियम विरूद्ध हो अथवा कोई दुर्भावना से प्रेरित हो। हम आलोच्य आदेश में कोई नियम विरूद्धता या दुर्भावना होना नहीं पाते है। ऐसे में प्रशासनिक आदेश में अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है, जिसके आधार पर आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके।

5. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)